भारत सरकार

संसदीय कार्य मंत्रालय

प्रेस प्रकाशनी

संविधान के अनुच्छेद 77 (3) के अधीन बनाए गए भारत सरकार (कार्य का आबंटन) नियम, 1961 के अंतर्गत संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपे गए कार्यों में से एक अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का आयोजन करना है। तथापि, संसदीय तंत्र के सुचारू संचालन में सचेतक द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के मद्देनजर, पहला अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन बहुत पहले देश में पहले आम चुनाव के बाद पहले वर्ष में इंदौर में सितंबर, 1952 में आयोजित किया गया था। अब तक 13 सचेतक सम्मेलन आयोजित जा चुके हैं। चौदहवां अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन अब 4-5 फरवरी, 2008 को महाराष्ट्र विधान सभा, मुंबई के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित किया जा रहा है।

सरकार के संसदीय रूप में विधानमंडलों के भीतर विभिन्न राजनीतिक दलों के सचेतक दलों केआंतरिक संगठन के महत्वपूर्ण संपर्क के रूप में कार्य करते हैं। संसद/ राज्य विधानमंडलों का दक्ष और सुचारू कार्यचालन काफी हद तक सचेतक के कार्य पर निर्भर करता है। सचेतकों को विधानमंडलों के भीतर दलों के प्रबंधक का सही नाम दिया गया है।

सत्ताधारी और विपक्षी दोनों दल अपने सचेतक नियुक्त करते हैं और सभी दलों के सचेतकों के कुछ कार्य समान होते हैं। परन्तु सरकारी मुख्य सचेतक के कुछ कार्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य सत्र के समय का मानचित्रण, समन्वय, सरकारी कार्य की मानीटरिंग और प्रबंधन है। सरकारी मुख्य सचेतक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य लगातार सदन की नब्ज़ को महसूस करना और सदन/सरकार के नेता को इससे अवगत कराना है। सरकारी सचेतक सदन के नेता और सत्ताधारी दल के सदस्यों के बीच महत्वपूर्ण संचार संपर्क के रूप में कार्य करता

है और सदन के कार्य से संबंधित मामलों तथा समग्र रूप में सदन से संबंधित कई अन्य मामलों में अन्य दलों के सचेतकों के साथ निकट संपर्क भी बनाए रखता है।

विपक्षी दलों के सचेतकों की भूमिका भी समान रूप से महत्वपूर्ण होती है। वे अपने सदस्यों को सभी महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध कराते हैं और सदन में संबंधित दलों के सदस्यों की उपस्थिति और प्रतिभागिता, विशेष रूप से महत्वपूर्ण चर्चाओं और मतदान के दौरान, सुनिश्चित करते हैं। वे संसद/विधानमंडलों में उच्च स्तर के वाद-विवाद के स्तर को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाते है। वे कुशल समन्वय की तुलना में संसदीय प्रक्रियाओं, पद्धतियों और परिपाटियों की जटिल अपेक्षाओं को सुनिश्चित करने के लिए अपने दलों और सदस्यों की ओर से संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारियों और सचिवालय के साथ विचार-विमर्श भी करते हैं।

सचेतकों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन आयोजित करने की परिकल्पना की गई ताकि सचेतकों को आवधिक बैठकों के लिए समुचित मंच प्रदान किया जा सके जिसमें संसद और राज्य विधानमंडलों में सचेतक अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें। अब तक आयोजित 13 अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलनों का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	दिनांक	स्थान
पहला	सितम्बर, 1952	इन्दौर
दूसरा	15-16 जनवरी, 1955	मैसूर
तीसरा	24-25 सितम्बर, 1956	श्रीनगर
चौथा	24-25 अक्तूबर, 1962	मुम्बई
पांचवां	5-6 जनवरी, 1966	बंगलौर
छठा	4-6 अक्तूबर, 1967	शिमला
सातवां	21-23 सितम्बर, 1969	चैन्नई
आठवां	3-4 नवम्बर, 1972	भोपाल
नौवां	27-28 अक्तूबर, 1983	शिमला
दसवां	26 नवम्बर, 1988	दिल्ली
ग्यारहवां	17-19 जनवरी, 1994	बंगलौर
बारहवां	21-22 अगस्त, 1997	श्रीनगर

तेरहवां 4-5 फरवरी, 2005 हैदराबाद

विचार-विमर्श के पश्चात, सम्मेलन हमारे देश में संसदीय प्रणाली के कार्यचालन में सुधार के लिए सिफारिशें करता है। ये सिफारिशें सम्मेलन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार की जाती हैं और केन्द्र और राज्यों में इनके कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा इन पर कार्रवाई की जाती है।

चौदहवें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का उद्घाटन आज 4 फरवरी, 2008 की सुबह महाराष्ट्र विधान सभा के केंद्रीय कक्ष में माननीय मोहम्मद हामिद अंसारी, भारत के महामहिम उप-राष्ट्रपति और सभापति, राज्य सभा द्वारा किया गया। माननीय श्री हर्षवर्धन पाटिल, संसदीय कार्य मंत्री, महाराष्ट्र सरकार ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया और परिचायक भाषण दिया। माननीय श्री कृष्णराव रखमाजीराव देसाई उर्फ बाबासाहेब कुपेकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधान सभा, श्री शिवाजीराव बापुसाहेब देशमुख, अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधान परिषद् तथा श्री विलासराव देशमुख, महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने भी उद्घाटन सत्र में जनसमूह को संबोधित किया। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता संसदीय कार्य तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री, भारत सरकार द्वारा की गई जिन्होंने प्रतिनिधियों और आमंत्रित अन्य महानुभावों को संबोधित भी किया।

उद्घाटन सत्र के पश्चात सम्मेलन को 13वें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में अवगत कराया गया। तत्पश्चात पूर्ण सत्रों, सामान्य चर्चाओं और कार्यसूची मदों पर सिफारिशों के लिए सम्मेलन के 2 ग्रुप बनाए गए। पूर्ण सत्रों में विचार-विमर्श कल भी जारी रहेगा। सम्मेलन में चर्चा के लिए कार्यसूची की 7 मदें हैं और कार्यसूची मदों की सूची संलग्नक में दी गई है।

विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात, 5 फरवरी, 2008 को अपराह्न में समापन सत्र के दौरान सम्मेलन की सिफारिशें प्रस्तुत और स्वीकार की जाएंगी। माननीय श्री सोमनाथ चटर्जी, अध्यक्ष, लोक सभा समापन भाषण देंगे।

सम्मेलन में राज्यों में संसदीय कार्य मंत्रियों, संसद के दोनों सदनों में और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं/परिषदों में नेताओं/मुख्य सचेतकों/सचेतकों सहित 105 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों से 15 सचिव/दूसरे अधिकारी भी प्रेक्षक के रूप में भाग ले रहे हैं।

<u>संलग्नक</u>

कार्यसूची की मदें

14वां अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन

1. 13वें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा।

2. गठबंधन सरकारों के संदर्भ में सचेतकों की बढ़ी हुई भूमिका और उत्तरदायित्व।

3. लोक सभा/राज्य सभा तथा विधान सभा सत्रों में निरंतर व्यवधान तथा प्रश्न काल की मर्यादा (सैंकटिटी) बनाए रखने की आवश्यकता।

4. संसद/विधानमंडलों के सदस्यों के लिए अनुसंधान/अध्ययन सहायता की आवश्यकता।

5. सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सामान्य चर्चा के लिए विशिष्ट रूप से सप्ताह में एक पूरा दिन अलग से रखना।

6. समितियों में सदस्यता जिनमें विरोध हो अथवा विधायकों के निजी हितों से टकराव का आभास हो।

7. संसद तथा राज्य विधानमंडलों के प्रतिदिन के कार्यचालन में सूचना प्रौद्योगिकी की शुरूआत तथा पर्यावरण सुरक्षा के लिए कागज के प्रयोग में कमी।